बाल विवाह
जिन्दगी की जद्दोजहद में
बचपन की आहूति

बाल विवाह केवल भारत में ही नही, अपितु सम्पूर्ण विश्व में एक चुनौती है, किन्तु खास कर भारतीय उप महाद्वीप और भारत वर्ष मे यह एक बड़ी चुनौती है। आकड़ो के अनुसार विश्व में 40 प्रतिशत विवाह और भारत में 49 प्रतिशत विवाह 18 वर्ष से कम आयु में होते है, जो एक चौंकाने और साथ ही डराने वाला तथ्य है।

बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य व जीवन के अन्य कई पहलुओं पर हानिकारक प्रभाव डालने वाला बाल विवाह सिर्फ लड़कियों के ही नही, बल्कि लड़को के भी मानवाधिकारों का गम्भीर उल्लंघन है। गरीबी, लैंगिक असमानता, अशिक्षा, पितृसतात्मक सामाजिक व्यवस्था और सम्बधित कानूनों को लागू करने में दृढ इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह अभी भी बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। लड़कियों पर इसका असर कई तरीके से देखा जा सकता है। कम उम्र में गर्भ धारण, मातृ मृत्यु दर में बढोत्तरी, कुपोषण, यौन हमला, एच.आई.वी संक्रमण, जीवन साथी के साथ क्रूरता व घरेलू हिंसा, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से वंचना जैसे– सामाजिक, आर्थिक, दुष्परिणाम सामने आते है। जिसके कारण लड़कियों को समाज के हाशिये पर जाने को विवश होना पड़ता है।

बाल विवाह सिर्फ विवाह से जुड़ा हुआ मामला नही है, बल्कि जल्दी विवाह अर्ली प्रेगनेन्सी को भी आमंत्रित करता है। जिसके लिए बालिकाओं का शरीर पूरी तरह तैयार नही होता और नतीजन मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी नही आ पा रही है। वही दूसरी ओर मातृत्व के लिए पूरी तरह से बिना तैयार माँ, जो स्वयं कुपोषित है और वो अगली पीढ़ी में भी कुपोषित बच्चे ही पैदा करेगी और कुपोषण का यह दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी बढता रहता है। फलस्वरूप बच्चे का शारीरिक, मानसिक विकास सही ढंग से न होने पर मानव उत्पादकता में कमी के कारण पूरे देश के विकास पर भी असर पड़ता है। एक अध्ययन के मुताबिक 15–19 वर्ष की आयु के तुलना में 30–34 वर्ष की महिलाओ की डिलेवरी में जटिलताओ का अनुभव लगभग 60 प्रतिशत तक कम होने की सम्भावना रहती है।

बाल विवाह जैसी कुप्रथा शिक्षित व विकसित समाज के लिए एक बड़ी बाधा है और भारत जैसे उभरती हुई अर्थ व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भी। देश में बिहार 68 प्रतिशत बाल दिवस की दर के साथ सबसे ऊपर स्थान पर है। अतः जाहिर सी बात है कि पश्चिमी बिहार की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, और सोनभद्र जिलो में भी इसकी स्थिति उसी प्रकार है।

आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश पर इसका व्यापक असर है। इसी बात के दृष्टिगत पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाल अधिकारों, खास कर बाल सुरक्षा व संरक्षण के मुद्दो पर विगत 3 दशको से कार्यरत संस्था डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन (एस.आर.एफ.) द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संस्था चाइल्ड राइट् एण्ड यू (क्राइ) के साथ मिलकर वाराणसी मंडल में विगत 4 वर्षो से ^ou LV:i V| LVki pkbYM e|j:t* नामक अभियान का संचालन किया जा रहा है।

अपनी इस कार्य यात्रा के दौरान हम ऐसे असंख्य बच्चों से रूबरू हुए जो बाल विवाह के दंश से अपनी पूरी जिन्दगी खो चुके है। जमीनी स्तर पर इस मुद्दे की गम्भीरता के बावजूद सामाजिक सोच और बच्चे के प्रति उपेक्षात्मक रवैया तथा इसकी स्वीकार्यता को समुदाय की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में लेते हुए हमने वाराणसी मंडल में अपनी सीमित साधनो से कार्य शुरू किया है। इन्ही छोटे कदमो की विविध प्रयासों को संग्रहित करने की एक कोशिश की गयी है। इस संग्रह को मुख्यतः पाँच चरणो में बाँटा गया–पहली, वे दुष्वारियां, जिन्होंने दिखाई काम की राह, दूसरा उस जज्बे को सलाम, जिन्होंने दिए शक्ति पंख, तीसरा बाल विवाह के विरूद्ध धार्मिक गुरूओं की अपील, चौथा सरकारी और गैर–सरकारी हितभागियों की अभिव्यक्तियाँ, जिन्होने हमारी यात्रा को दिया साथ और अंत में हमारे विविध पहल और बोलती तस्वीर शीर्षक के जरिये पहल प्रक्रिया को संकलित किया गया है। उम्मीद है कि यह दस्तावेज न सिर्फ बाल विवाह के विरूद्ध एक सार्थक दस्तावेज होगा, बल्कि भविष्य के अभियानों के लिए भी मार्गदर्शी सिद्ध होगा।

Mk- jk:yh flag
कार्यक्रम निदेशिका
डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन

बाल विवाह
के विरूद्ध अन्तर्विभागीय हितग्राहियों के विचार

एक प्लेटफार्म पर विविध प्रकार की त्रासदी झेल रही पीड़िताओं की आप–बीती कार्यक्रम के संवेदनशील संयोजन हेतु डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन व क्राइ संस्थाओं को धन्यवाद, जिनके जरिए हमें इनके जीवन के कठिनाईयों को सुनने–समझने का अवसर प्राप्त हुआ। अब अवसर है हमें साथ मिलकर इन्हें सहयोग देने का। इस क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम इन्हें किसी भी प्रकार का विधिक सहयोग निःशुल्क रूप से मुहैया कराएंगे और हर कठिनाईयों को दूर करने में हमारा साथ होगा।

nhid ;kno
सचिव/ अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी

बाल विवाह या कम उम्र में शादी बच्चों को विवाह जैसी जिम्मेदारी में धकेलना सिर्फ लड़की और लड़के के ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए अपराध है।

l/kkdj nc
सचिव– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
वाराणसी।

क्राइ एवं डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन के सन्दर्भ व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम–2006 के अनुपालन में व्यावहारिक पक्षों व कुछ अस्पष्ट निर्देशों पर प्रतिभागियों में विशेष स्पष्टता लाए, ताकि सभी अपने क्षेत्र में अपनी भूमिका का स्पष्ट निर्वहन कर सकें। वाराणसी पुलिस इस कार्य में अपनी महती भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

fufru frokjh (आई.पी.एस.)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी

बाल विवाह के विरूद्ध किये जा रहे संस्था के प्रयास सराहनीय है। बाल विवाह रोकने के प्रति हम और हमारा विभाग पूर्णतया प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा अक्खा तीज पर गंगा घाट के किनारे जहॉ जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई वहीं मणिकर्णिका घाट में रात 1 बजे तक पुलिस प्रशासन द्वारा बाल विवाह को रूकवाया और आगे भी इस मुद्दे को गम्भीरता के साथ लिया जाएगा।

i:oh.k dekj f=ikBh
उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/उप निदेशक
प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी
महिला कल्याण विभाग, वाराणसी मंडल

बाल विवाह की घटनाओं को लोग प्रायः तवज्जो नहीं देते है। किन्तु यह मुद्दा बच्चों के समग्र विकास से जुड़ा हुआ है, जो उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अतः पुलिसजन ऐसी घटनाओं में एन.जी.ओ. के सहयोग से त्वरित कार्यवाही करें। क्राइ एवं डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन के कार्यों को मैंने विगत 20 वर्षों से नजदीक से देखा और परखा है। ये बच्चों के मुद्दे को बहुत संजीदगी से लेते हैं और उस पर त्वरित क्रियान्वयन करते है।

lrk"k dqekj flag (आई.पी.एस.)
पुलिस अधीक्षक, चंदौली

बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है इसके विरूद्ध एस.आर.एफ.–क्राई द्वारा बाल विवाह अधिनियम–1996 के सन्दर्भ में आयोजित कार्यशाला, जो अत्यन्त सहज तरीके से संचालित की गयी और मैने देखा कि अन्त तक सभी की उत्सुकता भरी भागीदारी बनी रही। यह कार्यशाला न केवल एक्ट की जानकारी पर आधारित रही, बल्कि इसमें आने वाली प्रमुख चुनौतियों और उनके समाधान के विकल्पों पर चर्चा इसकी विशेष खासियत रही। आगे भी कम से कम हमें प्रत्येक त्रैमास स्तर पर सभी को इस विषय पर बैठना चाहिए।

'kSy'k dqekj ik.M; (आई.पी.एस.)
पुलिस अधीक्षक, जौनपुर

बाल विवाह को रोकने के लिए समवेत पहल की जरूरत है। इस कुरीति को दूर करने में सभी विभागों को एक साथ आगे आना होगा। क्राय एवं डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा मण्डल स्तर पर किये जा रहे पहल के लिए हम बधाई देते हैं।

inhi dqekj jk;
पुलिस अधीक्षक (नगर), गाजीपुर

नीति आयोग द्वारा उ0प्र0 के आकांक्षी जिलों में शामिल चंदौली बाल विवाह की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जिला है। आर्थिक तंगी व शिक्षा के अभाव में अभिभावक बच्चों का विवाह निर्धारित उम्र से पहले कर दे रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रवृत्ति पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। प्रत्येक विद्यालय अपने यहाँ पंजीकृत बच्चों की उपस्थिति, ठहराव की निगरानी के साथ ही बाल विवाह की स्थिति को भी यदि अपनी निगरानी में शामिल कर लें, तो इस कुप्रथा पर काफी हद तक अंकुश लगाने में हमारे विभाग को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है।

Mk- foukn dqekj jk;
जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद चंदौली

जवाबदेही और संवेदनशीलता के अभाव में बाल विवाह की घटनाओं को दबा दिया जाता है। बच्चों से सम्बन्धित अनेक कानून एवं योजनाएँ होने के बावजूद समाज में बच्चों के प्रति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं यौनशोषण की घटनाएँ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। यह समय की मांग है कि बाल विवाह प्रतिषेध कानून–2006 का अनुपालन हर स्तर से किया जाए और इसकी नियमित समीक्षा भी होते रहनी चाहिए। यदि 18 वर्ष से कम उम्र की बाल विवाह पीड़ितायें या फिर उनके बच्चे हमारे संज्ञान में आते है, तो उन्हें आई.सी.पी.एस. योजना के अन्तर्गत स्पांसरशिप योजना से लाभ प्रदान किया जाएगा और हमारी समिति द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।

eukst feJk
अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति
वाराणसी

बाल विवाह के विरूद्ध जागरूकता हेतु एक कदम...

आप-बीती में बोले पैनलिस्ट

डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन-क्राइ के सहयोग से विगत ३ वर्षों में दो आप-बीती कार्यक्रमों में बाल विवाह प्रभावित महिलाओं की दुष्वारियों की टेस्टमनी तैयार कर समाज के प्रबुद्धजनों के बीच रखा गया और पीड़ितों के हित में जाने गये उनके विचार-

बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, जिसे सिर्फ कानून के जरिये हल करना सम्भव नहीं है। मलाला यूसुफजई जैसी एक छोटी लड़की ने साबित कर दिया कि एक कलम और किताब के जरिये किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदला जा सकता है। उसी तरह सामाजिक संस्थाएँ भी यदि चाहें, तो वर्तमान कानून के सहयोग से इस कुप्रथा को जड़ से खत्म कर सकती हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत पीड़ित बेटियों के विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है और उनसे होने वाली सन्तानों को राहत दिया जा सकता है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लॉ कालेज द्वारा संचालित लीगल एड क्लिनिक द्वारा ऐसी पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी विधि संकाय में आकर प्रशिक्षण व जानकारी प्राप्त कर सकते है, ताकि वे इस मुद्दे पर पूरी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकें।

Mk- foHkk f=ikBh
प्रोफेसर, विधि संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

बाल विवाह, कुपोषण और एनेमिया एक-दूसरे के पूरक है। यह अवश्यंभावी है कि बाल विवाह की शिकार बालिका कुपोषण और ऐनेमिया से ग्रस्त होगी ही और ऐसी बालिका शीघ्र ही गर्भ भी धारण करेगी तथा अपने जैसे कुपोषित और एनेमिक बच्चे को जन्म देगी, जो शिशु एवं मातृ दर का कारक बन सकता है।

ik- (Mk-) jk,uk flg
अध्यक्ष-एनॉटामी विभाग, आई.एम.एस., एवं चीफ प्राक्टर
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र-बी.एच.यू. बाल विवाह के विरूद्ध अभियान चलाकर जानकारी व जागरूकता प्रसार का कार्य करेगी तथा इस विषय पर अद्यतन अध्ययन कार्य भी काराएगा, ताकि बाल विवाह की वर्तमान परिदृश्य की फैक्ट फाइडिंग मजबूती से निकलकर आए और आवश्यकता पड़ने पर नीतिगत पैरोकारी की जा सके। बाल विवाह के विरूद्ध समवेत प्रयास की आवश्यकता है और हम साथ-साथ है।

ik- (Mk-) jhrk flg
निदेशक-महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

बाल विवाह सामाजिक दृष्टि से एक गंभीर अपराध है, जिसे सिर्फ कानून के भरोसे हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार पंचायतों, समाज, राजनैतिक व धार्मिक नेताओं एवं अकादमिक संस्थाओं को समवेत प्रयास करना पड़ेगा। वर्तमान में बाल विवाह से सम्बंधित आकड़ों का पूर्णतया अभाव है, जिसके लिए समाजकार्य विभाग अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है।

ik- (Mk-) l t ;
संकाय प्रमुख एवं अध्यक्ष समाजकर्का विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

कम उम्र में शादी, स्वयं रूग्ण एवं जर्जर शरीर की कोख में पल रहे बच्चे और वैधव्य का दंश झेल रही महिलाओं के साथ उनके परिवार, समुदाय द्वारा किये जा रहे अत्याचार की घटनाएँ मन को झकझोर कर रख देती है। सरकार निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए समर्पित है, किन्तु आज का आप–बीती कार्यक्रम, जो डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन, क्राइ व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें आकर कुछ और ही सुनने–समझने को मिला और मैं आज इस सभागार में इस बात के लिए वचनबद्ध हूँ कि इन पीड़िताओं को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलवाकर रहूँगी। बेटियों का बाल विवाह तभी होता है, जब वे शिक्षा से वंचित हो जाती है और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं अभियान अब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में शामिल है, तो बेटियों को अब शिक्षा व अन्य सामाजिक योजनाओं का लेने से कोई रोक नहीं सकता है। अब बेटियों को किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है और वे सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने सपनों को साकार करें।

Mk- jpuk vxoky
प्रदेश संयोजिका - बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं अभियान, उ.प्र.

बाल विवाह के विरूद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक प्रतिनिधि और धर्म गुरु एक साथ इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इसके विरूद्ध आगे बढ़ने की पहल काशी से आज कर रहे हैं, यह एक ऐतिहासिक पहल है और हम सबको इसमें आगे जुड़ते और बढ़ते चलना है। क्राइ और डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन की यह स्तुत्य पहल न केवल काशी, बल्कि राज्य स्तर पर पहला प्रयास माना जा सकता है।

ihr'k dekj frokjh
मंडलीय सलाहकार
डा. राममनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय–यूनिसेफ
वाराणसी मंडल

बाल विवाह के विरुद्ध एक कदम...
धर्म गुरूओं का योगदान

डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन ने क्राइ के सहयोग से बाल विवाह के विरुद्ध अभियान के क्रम में समाज के हर वर्ग को जोड़ने की दिशा में उत्तर प्रदेश में पहली बार बाल विवाह के विरुद्ध धर्म गुरुओं के योगदान विषय पर संवाद शिविर का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मो, पंथो के लोगों ने खुलकर बाल विवाह के विरुद्ध साथ खड़े होने पर अपनी सहमति प्रदान की। प्रस्तुत है संवाद शिविरों में शामिल धर्मगुरूओं के विचार –

कोई भी धर्म महिलाओं को गैरबराबरी का दर्जा नहीं देता है। यह हमारा समाज है, जो धर्म को अपनी आवश्यकतानुसार तोड़–मरोड़ कर उसकी व्याख्या करता है और बाद में यही व्याख्याएं परम्पराओं और कुरीतियों का रूप ले लेती हैं। किन्तु यह जागरूक धर्म गुरुओं का नैतिक कर्तव्य है कि वे समाज की इन कुरीतियों को दूर करने के लिए आगे आयें। हिन्दू धर्म में महिलाओं को अत्यन्त सम्मान का दर्जा प्राप्त है। किन्तु कालान्तर में अनान्य कारणों से इसमें तमाम कुरीतियों का समावेश हो गया। जिसकी वजह से आज महिलाओं की स्थिति अत्यन्त सोचनीय हो गई है। यह अत्यन्त दु:ख और चिन्ता का विषय है कि आज भी देश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अन्य विकसित देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिसकी मुख्य वजह कम उम्र में शादियाँ हैं। अत: इन सब समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए बच्चों पूरी शिक्षा दिलाना और सही उम्र में शादी बहुत जरूरी है।

Lokeh ftrUnkuUn ljLorh
राष्ट्रीय महामंत्री
अखिल भारतीय सन्त समिति एवं गंगा महासभा

सनातन धर्म में स्त्रियों को समानता का दर्जा है। प्राचीन काल में बाल विवाह की घटनाएं अवश्य मिलती हैं, किन्तु किसी भी धर्म ग्रन्थ में बाल विवाह को शास्त्र सम्मत नहीं कहा गया है।

Mk- dyifr frokjh
पूर्व महंत–श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी

कम उम्र में विवाह न सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि इसकी वजह से गुर्बत और जहालत को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए ये जरूरी है कि सभी कौम के लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को भी तवज्जो दें। ताकि बच्चों को उनका हक–हुकूक मिल सके और बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके। यह बहुत चिन्ता की बात है कि हमारे देश और प्रदेश में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चों की कम उम्र में शादियाँ हो रहीं हैं, जिसका पूरा असर उनके सेहत और तालीम पर पड़ रहा है। सरकार के साथ–साथ आवाम को भी इस पर गौर करने और साथ में मिलकर ऐसी बुराइयों को खत्म करने की जरूरत है।

ekykuk vCny ckfru
प्रसिद्ध इस्लामिक स्कालर एवं मुफ्ती–ए–बनारस

वैसे तो इस्लाम में लड़की ये रजस्वला होने के बाद विवाह की इजाजत है, किन्तु आज समय का तकाजा है कि लड़कियों को पूरी शिक्षा और संस्कार दिया जाए, ताकि वे धर्म के दायरे में रहते हुए अपना आसमान छू सकें।

tukc 'k[k ekgEen lkek:
इस्लाम धर्म में चौदहों समुदाय के सरदार

बाइबिल में भी महिलाओं को समानता का दर्जा है और महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार पढने, लिखने एवं आगे बढ़ने की पूरी आजादी है, किन्तु अशिक्षा के कारण बाल विवाह की घटनाएं प्रायः देखने को मिलती है, जिन्हें मिलकर दूर करने का प्रयास करना है।

Qknj vfHk"kd
खीस्त धर्मगुरु एवं केन्द्र समन्वयक–चाइल्डलाइन

जिस प्रकार सिक्ख धर्म में गुरू गोविन्द सिंह जी ने कहा था कि किसी भी ज्ञान को आत्मसात कर उसे अपने पास रखने की बजाय उसे प्रसारित करना चाहिए, उसी प्रकार हम भी आज यहाँ से प्राप्त इस सन्देश को जन–जन तक पहुँचाने का संकल्प लेकर इस सभागार से वापस जाएँ।

Hkkbl /kjeohj flag
मुख्य ग्रन्थी, गुरूद्वारा नीचीबाग

जिस प्रकार कबीर साहब ने अपने समय में अनेक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, उसी प्रकार आज बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुऐ एवं इसके कुप्रभावों को जन–जन तक फैलाने की जरूरत है, जिससे इस प्रथा को समाज से खत्म किया जा सके।

Mkå HkxhjFk nkl
प्रतिनिधि–कबीर मठ मूलगादी
कबीरचौरा, वाराणसी

निरंकारी समुदाय तो समाज में गैर बराबरी के खिलाफ काम करने के उद्देश्य से गठित ही किया गया है। हम अपने समाज को यही दीक्षित करते हैं कि लोग गैर बराबरी के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाएं बल्कि लोगों को ऊपर उठाने में मदद भी करें। बाल विवाह के खिलाफ इस अभियान में हम आपके साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं।

lrk"k tk;loky
प्रवक्ता–संत निरंकारी समुदाय

जज्बे को सलाम

खुद का बाल विवाह रोक दूसरों के लिए बनी शक्ति परियां

बाल विवाह के विरूद्ध एक कदम के अन्तर्गत एस.आर.एफ.–क्राइ द्वारा अपने कार्यक्रम क्षेत्र के सभी समुदाय में रानी लक्ष्मी बाई किशोरी समूह का गठन किशोरी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन समूहों में जब बाल विवाह दुष्चक्र पर लगातार संवाद और उनकी व्यथा–कथा रखी गयी, तो कल्पना से परे जिन बच्चियों ने अपने–अपने क्षेत्र, अपने समुदाय में अपना बाल–विवाह रोकते हुए बाल–विवाह के विरूद्ध शक्ति परी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, पेश है कुछ उनकी बानगियां–

परिस्थितियां विपरीत हौसला बुलंद

नाजमीन, जिसे लोग बस्ती में नैनी कहकर पुकारते हैं। नैनी के कुल 3 बहन और 2 भाई है। आर्थिक तंगी के कारण पूरे परिवार के लोग मजदूरी करते हैं। आज से 4 साल पहले नाजमीन भी बाल श्रमिक थी, जो कूलर बनाने का काम करती थी। एस.आर.एफ.–क्राइ पहल शुरू होने पर रानी लक्ष्मीबाई किशोरी समूह का गठन हुआ, जिसमें यह पहली अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्ती थी, जहाँ किशोरियों की बढ़–चढ़ कर भागीदारी उत्साहजनक रही है। नाजमीन, जो पहले अपने घर से निकलती ही नहीं थी, वह किशोरियों की सक्रियता देखते हुए निकली और बैठकों में आना–जाना शुरू किया। चाहे बाल विवाह, बाल श्रम या ड्राप आउट की समस्या हो, सभी पर उसने न केवल अपनी समझ बनाई है, बल्कि तमाम सामाजिक दबाव को सहते हुए घर–घर में अपनी पहचान बनाते हुए एक–एक किशोरियों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया और उनकी एक–एक समस्याओं को तत्काल संज्ञान में लेती है और संस्था कार्यकर्ताओं तक रखती है। जब कभी किसी समस्या के समाधान में वक्त लगता है, तो वो विलंब के कारण को जानने की बेचैनी के साथ संस्था कार्यालय तक पहुँच जाती है। इसके साथ ही नाजमीन अपने 25–30 किशोरियों के समूह के साथ यह सुनिश्चित कर रही है कि बस्ती के सभी बच्चे व किशोरियां न सिर्फ स्कूल में नामांकित हो, बल्कि स्कूलों में ठहराव के साथ ही बाल विवाह, बालश्रम एवं बालिका शिक्षा की भी तरफ इनका ध्यान जाना शुरू हो गया है। समाज में लैंगिक भेदभाव की स्थिति को भलीभांति समझते हुए वो कहती है कि हम बेटियां तो एस.आर.एफ.–क्राइ के सहयोग से पढ़ने व बढ़ने लगी है, लेकिन अब हमें उन लड़कों पर भी ध्यान देना चाहिए, जो मोटर गैरेज या अन्य कार्यों में लगे हुए है।

दरअसल आज से 4 वर्ष पहले नाजमीन के बाल विवाह की सूचना जैसे ही एस.आर.एफ.–क्राइ टीम के पास आई, तो टीम ने उसके अभिभावकों से तथा साथ ही अन्य हित ग्राहियों के सहयोग से विवाह को रूकवा दिया और यह तय हुआ कि उसका विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद ही होगा। इस बात को परिवार और वर पक्ष के लोगों ने सम्मान दिया और विवाह रूका। फिर क्या था, नैनी इस घटना के बाद संस्था से जुड़ कर अपने व्यक्तित्व के निखार में लग गयी तथा अपने सभी दायित्वों को समझते हुए न केवल खुद का विकास किया, बल्कि बस्ती के हर घर तक अपने काम से नैनी नाम से मशहूर हो चुकी है। दूसरी लड़कियों के लिए वह रोल मॉडल के रूप में देखी जा रही है। मुद्दा बाल विवाह, बाल श्रमिक हो या बच्चों के किसी भी समस्या का, नाजमीन ने इन सभी समस्याओं को स्वयं झेला है और इनकी पीड़ा को महसूस किया है। इसलिए जब वह किसी भी विषय पर बोलती है, तो हर कोई ध्यान पूर्वक उसकी बातों को सुनता है। आज नैनी 19 वर्ष की हो चुकी है और वह अपने मायके और भावी ससुराल पक्ष से बात करके तरह–तरह के कौशल विकास कार्यक्रमों से अपने व्यक्तित्व में निखार ला रही है।

चुप कैसे रहती?

"हम किशोरी जत्था की सदस्य बाल विवाह के विरूद्ध एक पहल अभियान से जुड़कर हर वक्त, हर जगह, इस बात के लिए निगरानी करते हैं कि कहीं किसी का बाल विवाह तो नहीं हो रहा है। ऐसे में जब मेरे माँ-बाप मेरे ही बाल विवाह की तैयारी करने लगे तो मैं चुप कैसे रहती? यह कहते हुए सिमरन का चेहरा तमतमा जाता है।"

वाराणसी के वरूणा नदी के किनारे स्थित दानियालपुर बस्ती में एक छोटा हिन्दुस्तान बसता है। जहाँ हर बिरादरी के लोग रहते है। आजीविका के तलाश में अन्य प्रांत और जिलों से भी लोग आकर यहाँ बसे है। इसी बस्ती के निवासी ध्रुव देववंशी की 2 संतानों में बड़ी सिमरन, जिसकी उम्र 18 वर्ष भी पूरी नहीं हुई है, उसका विवाह पिता ने तय कर दिया। घर परिवार में मंगल गीत शुरू हो गया, लेकिन सिमरन के मन में इसी उम्र में विवाह के विरूद्ध विद्रोह की आग पूरी तरह से भभक रही थी। बहुत अनुरोध किया उसने घर वालों से कि उम्र से पहले उसका विवाह न करें और उसे पढने दे, लेकिन उसकी सुनता कौन? अपनी बात की पूरी तरह अनदेखी होते देख उसने सीधे तौर पर विवाह से स्पष्ट मना कर दिया और घर वालों से कहा कि यदि मेरी मर्जी के विरूद्ध मेरा विवाह करने की कोशिश की गयी, तो मैं इसकी शिकायत 1098, 100 नंबर तथा श.रि.फा.–क्राइ के दीदी–भईया को कर दूंगी। यह सुनते ही घर वालों में मानो आग लग गयी। उसकी बेतरह पिटाई हुई। उसे दबाने की लाख कोशिशे हुई, लेकिन बिना हिम्मत खोये उस बच्ची ने अपनी बात संस्था के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा कर ही दम लिया। सूचना मिलते ही अभिभावकों से जब चर्चा की गयी, तो उनका कहना था कि सिमरन बिगड़ गयी है और किसी की बात नहीं मानती है। इसलिए उसे आगे नहीं पढ़ाया जाएगा और शादी की जा रही है। एस.आर.एफ. टीम के बहुत कहने–सुनने पर सिमरन को भी फिर से सुना गया। उसका कहना था कि वह बाल पहरूआ की सक्रिय सदस्य होने के नाते बाल अधिकारों के प्रति पूर्ण जानकारी ही नहीं बल्कि उसे पाने की चाहत भी रखती है। इसी क्रम में वह आगे पढ़ना चाहती है और अपने ढंग से जीना चाहती है। लेकिन समाज का नजरिया और परम्पराओं के दबाव ने अभिभावकों को विचलित कर दिया और फिर वे विवाह कर देना ही उसका सर्वोत्तम हित मान रहे थे। हमारी टीम के लिए अभिभावकों की मनःस्थिति, बच्ची का सर्वोत्तम हित और सामाजिक दबाव के बीच समन्वय स्थापित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। इस क्रम में उसके अभिभावक, एलर्ट समूह और स्वयं बच्ची जब एक साथ बैठे और सर्वसम्मति से बात बनी कि अभिभावक विवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक बच्ची पढ़ना और बढ़ना चाहती है। इसी तरह सिमरन से भी सहमति ली गयी कि वह 18 वर्ष तक अपनी पढ़ाई, अपने विकास को केन्द्रित करते हुए ऐसा कोई निर्णय न ले, जिससे उसके अभिभावकों को समाज का ताना सुनना पड़े। इस प्रकार बात बनी और आज वह अपनी 12वीं की पढाई करते हुए एस.आर.एफ.–क्राइ द्वारा संचालित डिजिट्यूटर सेंटर से कम्प्यूटर शिक्षा भी ले रही है।

fd'kkjh leg

जीवन चक्र में उम्र का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव किशोरावस्था होता है। इस उम्र की सीख, चुनौतियां ताउम्र प्रभावित करती है। इन्हीं बातों के मद्देनजर एस.आर.एफ. ने अपने समस्त कार्यक्षेत्र में किशोरियों को पूरे जीवन चक्र के छुए–अनछुए पहलुओं पर उन्हें सक्षम बनाने एवं जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई किशोरी समूहों का गठन किया है। वर्तमान में एस.आर.एफ.–क्राइ परियोजना क्षेत्र की 9 बस्तियों में 9 किशोरी समूह सक्रियता एवं दृढ़ता के साथ कार्य कर रहे है।

गुलफ्शा

उसका नाम गुलफ्शा है। बस्ती में आस–पास की सखियों का निकाह हो चुका था और आज उसके घर में अब्बू, अम्मी, और भाईजान आपस में बड़े खुश होकर गुफ्तगू कर रहे थे कि गुलफ्शा का होने वाला शौहर इकलौता वारिस है और पैसे वाला है। ये हमारी किस्मत है कि उसका रिश्ता एक ऐसे घर में तय हुआ है। किसी की जिन्दगी के ऐसे अहम फैसले को लेने से पहने कौन कहे, बाद में भी उसे नहीं बताया गया, जिसके लिए यह फैसला लिया जा रहा था। फिर भी घर की फुसफुसाहटों से गुलफ्शा यह जान चुकी थी कि उसका निकाह तय हो चुका है और अगले ही माह उसे अपने शौहर के घर जाना है। मात्र 14 साल की बालिका को बालिका वधु बनने की चिन्ता नही थी। यह उसके लिए कोई नयी बात नही थी क्योंकि उसके आस–पड़ोस की लगभग सभी बेटियो की शादी कम उम्र में होते वह देखती आ रही थी। निकाह हुआ ससुराल गयी, हँसी–खुशी से दिन बीत रहे थे। छोटी सी बच्ची, जो अब ससुराल में एकलौते वारिस की जिम्मेदार बहू बन चुकी थी, सुबह से शाम तक ससुराल वालो की खिदमद करते हुए खुद को कुछ बड़ी–बड़ी सी महसूस करने लगी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। शौहर का भी प्यार मिल रहा था। अभी निकाह के 6 माह भी नहीं बीते थे कि एक एक्सिडेन्ट में उसके शौहर का इंतकाल हो गया। अभी तक ससुराल के जो लोग उसके साथ थे, शौहर के इंतकाल के साथ ही मानों ससुराल से उसके रिश्ते व हक–हुकूक का भी अंत हो गया। उसके ससुराल के रिश्तेदारों, जिनकी नजरें उनकी सम्पत्ति पर लगी थी, ने उसके ससुर को, जिन्होने अपना बेटा खोया था, के कान भरने शुरू कर दिये कि यह बहु अपशगुनी है। इसी के कारण तुमने अपना बेटा खो दिया है, इसलिए इसे यहा से तत्काल मायके भेज देनी चाहिए अन्यथा और भी कुछ अनहोनी हो सकती है। बेचारी गुलफ्शा अपनी गुलफ्शा खो कर मायके वापस आ चुकी थी। ससुराल वालो ने उससे अपना नाता तोड़ लिया और किसी भी तरह के हक देने के पक्ष में नहीं थे। पूरी तरह से टूट कर घर के भीतर ही रहने की आदत डाल चुकी गुलफ्शा ने किसी से हँसना, बोलना सब कुछ बन्द कर दिया था। निरंतर रूग्ण होती जा रही गुलफ्शा के पास जब हम पहुँचे और उसके लगातार संवाद, परामर्श, परिवार व समुदाय के लोगो के साथ अपील के साथ धीरे–धीरे उसे वापस फिर से पुरानी गुलफ्शा बनाने की कवायद शुरू तो की है, पर न जाने कब गुलफ्शा के बेनूर चेहरे पर रौनक वापस आएगी, यह आने वाला वक्त ही बतायेगा।

ना केवल रोका बाल विवाह

बल्कि विश्वविद्यालय में बस्ती की प्रथम बालिका प्रवेशी होने का प्राप्त हुआ गौरव

दनियालपुर की iue शुरू से ही बाल पहरूआ से जुड़ी रही रही। लेकिन समुदाय का सामाजिक दबाव और कुछेक घटी घटनाओं (जैसे एक बाहरी व्यक्ति द्वारा बस्ती की एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने की घटना) के कारण हर अभिभावक दहशत में था। जिसका असर बेटियों पर बाल विवाह के निर्णय के रूप में पड़ रहा था। एक सामाजिक संस्था के रूप में इन चुनौतियों को स्वीकारते हुए हमने एक तरफ उसके अभिभावकों को उसे आगे पढ़ाने और शादी न करने के लिए समझाया और दूसरी तरफ पूनम को भी आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा की तैयारी करायी गयी। शादी तय थी, इसी बीच पूनम की मेहनत और संस्था की रणनीति काम आई। उसने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रवेश परीक्षा पास की। परिवार की शिकायतों और आशंकाओं को दूर करते हुए उसकी शादी को वयस्क होने तक टाल दिया गया। वर्तमान में पूनम मं. गा. काशी विद्यापीठ की स्नातक छात्रा है। इस प्रकार पूनम न केवल बालिका वधू होते–होते बची, बल्कि अपने बस्ती की विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाली पहली बेटी का गौरव भी प्राप्त किया है।

निगरानी की जरूरत

हिन्दू धर्म में मृत्यु के बाद मोक्ष के लिए मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की रीति जग प्रसिद्ध है। शवदाह करने वाले चौधरी (डोम) समुदाय की अपनी एक अलग संस्कृति, जीवनशैली और परम्परा है। दूसरों को मोक्ष की राह देने वाले डोम समुदाय में यदि बच्चों की सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए, तो पूरी तरह विपरीत परिस्थितियां देखने को मिलती है। आज भी यहां बाल विवाह का दुष्चक्र किसी अन्य समुदाय की तुलना में तेजी से घूम रहा है। बाल विवाह की रूढ़ी इस समुदाय की जड़ों में इस कदर समायी है कि विगत दो वर्ष पूर्व संस्था और जिला प्रशासन के सीधे हस्तक्षेप से जब एक बाल विवाह शादी के मंडप से रोका गया, तो इस घटना के असर के रूप में लोग डरे तो जरूर, किन्तु बाल विवाह पर अंकुश की बजाय इसके तरीके में बदलाव ला दिए है। अब गुपचुप तरीके से स्थान बदलकर बच्चों का बाल विवाह होने की घटनाएं मिल रही है।

ऐसी ही एक घटना eLdku नामक बच्ची के साथ घटी जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है। eLdku की शादी तय होने की सूचना संज्ञान में आते ही इसकी सूचना जिला बाल संरक्षण अधिकारी को दी गयी। क्योंकि समुदाय को यह बात स्वीकार नहीं थी कि कोई इस मुद्दे पर उनके बीच हस्तक्षेप करे। अतः संस्था द्वारा बिना सामने आये बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से हस्तक्षेप किया गया। बाल संरक्षण अधिकारी स्वयं परिवार के बीच गयी। उनके द्वारा पूर्व का उदाहरण दिया गया कि यदि यह अभी नहीं रोका गया, तो मंडप में भी शादी रोकी जा सकती है और विवाह में सहभागी समुदाय के लोग भी इस अपराध में भागीदार होंगे। प्रशासन के कड़े रूख का असर हुआ कि विवाह अभी तो रूका है, किन्तु लगातार निगरानी रखे जाने की जरूरत है। क्योंकि इस डोम समुदाय में ykVk iFkk भी एक प्रमुख चुनौती है।

ykVk iFkk

डोम समुदाय में लोटा प्रथा विवाह एक ऐसी रीति है, जिसके तहत वर या वधू किसी एक की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर जल भरे लोटे (जल पात्र) को ही प्रतीक मानकर विवाह कर दिया जाता है। मजेदार बात ये है कि यह पकड़ में भी नहीं आता कि लोटे के प्रतीक के रूप में वर या वधु बालिग है या नाबालिग।

आत्मविश्वास से बनी मिसाल

हमारे समाज में बेटियों के मुख्तार सभी बन जाते है, भले ही उनका छोटा भाई ही क्यों न हो। वाराणसी शहर के नदेसर स्थित अल्पसंख्यक बाहुल्य गढ़हिया बस्ती में शिक्षा के अभाव में बच्चे विशेष कर बालिकाएं बाल श्रमिक थी, लेकिन उनमें पढ़ने और जिन्दगी में कुछ कर गुजरने की चाह को देखते हुए एस.आर.एफ.–क्राइ टीम ने बस्ती के सभी बेटियों को एकजुट किया और उनके जज्बे को जगाया।

इन्ही बेटियों में एक है अकलीमा। चार बहनो और तीन भाइयों के बीच की अकलीमा को पढ़ने की चाहत के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई 9 वीं पास करते ही रोक देनी पड़ी और साथ ही उसकी बहन और उसकी शादियां भी तय कर दी गयी। ऐसे में एक तरफ बच्चियों की पढाई को आगे जारी रहने और सही उम्र में विवाह करने के हमारे विचारों को एक ही झटके में ध्वस्त करते हुए उसके भाई ने कहा कि हमारे घर की आबरू के बारे में निर्णय लेने वाले आप होते कौन है? समय की नजाकत को समझते हुए हमने यह महसूस किया कि इनकी प्रमुख समस्या आर्थिक तंगी और अशिक्षा को संबोधित किये बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए पुनः अकलीमा के पिता को किसी प्रकार राजी किया गया और नजदीकी स्कूल में जाकर प्रधानाचार्य से बात कर उनकी परिस्थितियों को बताया गया। विद्यालय प्रबंधन ने भी उसकी पारिवारिक परिस्थितियों को समझते हुए अकलीमा की कक्षा 10वीं की फीस माफ करते हुए कहा कि यदि वो कक्षा 10 में अच्छे नम्बरों से पास हो जायेगी, तो अगली कक्षा में भी उसकी फीस माफ कर दी जायेगी। सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती हुई अकलीमा कक्षा 10 में 81 प्रतिशत नम्बर लाकर पास हो गई। आगे के सभी अवरोधों को बारी–बारी से पार करते हुए आज अकलीमा स्नातक अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और 26 जनवरी 2019 को विद्यालय में आयोजित समारोह में जब उसे सर्वोकृष्ट छात्रा के रूप में नवाजा गया, तो उसकी आँखे भर आई और उसने अपने भाषण में कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिनके बल पर हूँ, उन्हें सलाम करती हूँ क्यों कि अगर एस.आर.एफ.–क्राइ के दीदी–भईया ने हमारे परिवार को समझाकर उन्हें और मुझे आत्मबल न दिया होता तो आज मैं यहाँ सम्मान लेने की बजाय किसी घर की चारदीवारी में उम्र से पहले विवाह और फिर उसकी दुश्वारियों को झेल रही होती।

अकलीमा केवल अपनी बस्ती में ही नहीं बल्कि अन्य बस्तियों में भी जाकर किशोरियों के बाल विवाह के साथ ही उनके अन्य अधिकारों के लिए भी काम कर रही है। इसके लिए उसे गत वर्ष मिलान फाउण्डेशन द्वारा गर्ल आईकॉन स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। वर्तमान में उसने स्वयं को केवल किशोरी जत्था तक ही सीमित नही रखा है, बल्कि नजदीकी सरकारी विद्यालय में स्वयंसेविका के रूप में बच्चों के बीच क्रिएटिव एक्टिविटी कराने वाली प्रिय दीदी बन चुकी है।

सूझ–बूझ से सभी की बनी है

रोल मॉडल

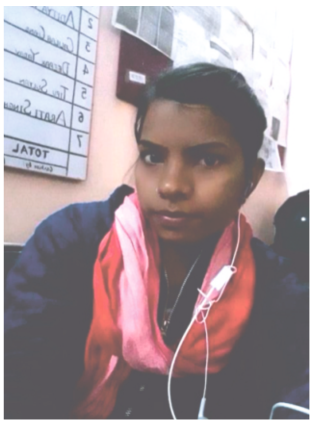

vkjrh जब 12वीं कक्षा विज्ञान विषय से प्रथम श्रेणी से पास हुई, तो न केवल उसके घर, बल्कि पूरे अम्बेडकरनगर बस्ती ने उसे हाथों–हाथ लिया। उसकी माँ और पिता 5 बहनों और 2 भाइयों की परवरिश दूसरों के घरों में झाड़ू–पोछा लगाकर और ठेला चलाकर जिस किसी तरीके से कर रहे है। आरती ने अपने दो बड़ी बहनों का बाल विवाह और उसका बुरा हश्र होते देखा है। इसलिए उसने होश सम्भालते ही पढ़ने और आगे बढ़ने की ठानी। किन्तु घर की विपरीत आर्थिक स्थिति ने 5वीं कक्षा के बाद ही उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर दिया और चाइल्ड लेबर के रूप में दूसरों के घरों में घरेलू कामकाज के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन उसने सुबह शाम काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और किसी प्रकार 8वीं कक्षा पास की। इसके बाद उसकी आगे की शैक्षिक यात्रा बहुत कठिन हो गई। इसी बीच उसका श.रि.फा.–क्राई टीम से जुड़ाव हुआ। बाल पहरूआ के सक्रिय सदस्य के रूप में उसे लगातार बल मिलता रहा, जिससे वो पूरे आत्मविश्वास के साथ भागादारी को न केवल अपनी बस्ती तक, बल्कि परियोजना की अन्य बस्तियों तक भी पहुंचाने लगी। धीरे–धीरे अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर उसने कपनी पढ़ाई जारी रखी और व्यक्तित्व को निखारने में लगी रही। इस बीच परिवार वालों ने उसका विवाह तय कर दिया, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी 5 बेटियों का बोझ उतारना था। किन्तु आत्मविश्वास से भरी आरती ने दृढ़तापूर्वक न केवल अपना बाल विवाह रोका, बल्कि अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए बस्ती में अन्य किशोरियों के लिये भी काम करती रही। आगे चलकर उसने अपने बल पर उत्कर्ष फाइनेंस कम्पनी में मार्केटिंग सुपरवाइजर के पद पर ज्वाइन किया और कुछ समय बाद अपनी प्रतिभा के बल पर वर्तमान में सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड में उच्च पद पर कार्यरत है। आज आरती ने न केवल अपना बाल विवाह रोक कर अपने विकास का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि अपनी बड़ी बहन को देख उसके छोटे भाई–बहन भी उसी के नक्शे कदम पर बढ़ रहे है। आज आरती का पूरा परिवार दूसरों के लिए एक जीती–जागती मिसाल बन चुका है।

नेहा ने न केवल रोकी अपनी शादी, बल्कि रखें कई अनछुए सवाल

हम लड़कियों को पूरा घर और हमारी बस्ती एक वस्तु की तरह रखती है। हमें अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। ऐसा हम बचपन से महसूस करते आये है। लेकिन जब कम उम्र में मेरी शादी तय हुई, तो मैं चुप न रह सकी। उस वक्त काम आया बाल पहरूआ की बैठकों में सीखा व्यक्तित्व निखार का प्रशिक्षण और श.रि.फा.–क्राइ प्रोजेक्ट के दीदी–भईया की बातें।

चौकाघाट के अम्बेडकर नगर स्थित बस्ती में बने मंदिर में शादी का मण्डप सज चुका था। सारी तैयारियां लगभग पूर्ण थी, इसी बीच बाल पहरूआ के बच्चों को जब यह खबर मिली कि उनकी दोस्त नेहा, जिसकी उम्र अभी मात्र 12 वर्ष है, की शादी होने जा रही है, तो उन्होंने 100 नं. व 1098 पर फोन करके पुलिस और चाइल्डलाइन के साथ ही श.रि.फा.–क्राइ प्रोजेक्ट के दीदी–भईया को भी सूचित किया। जिन हेल्पलाइन नम्बर्स के बारे में संस्था के कार्यकर्ता उन्हें नियमित रूप से बताते रहते है और जरूरत पड़ने पर इनका प्रयोग करने की सलाह भी देते हैं, बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही उन्हीं नम्बरों पर संस्था के कार्यकर्ताओं व स्थानीय एलर्ट समूह ने सामूहिक निर्णय लेकर सम्बन्धित विभागों को सूचित किया।

दरअसल नेहा, जो स्वयं बाल पहरूआ की एक सक्रिय सदस्य थी, की शादी रायबरेली में उससे काफी बडी उम्र के आदमी के साथ तय कर दी गयी थी। अपनी शादी तय होते देख वो भला कैसे चुप रहती। किन्तु परिवार वालों के डर से उसने परिवार में विरोध करने की बजाय यह बात अपने बाल पहरूआ के साथी सदस्यों तक पहुँचायी। शादी का मण्डप सज चुका था और एक दिन पूर्व वर पक्ष के लोग भी आ चुके थे। ऐसे में नेहा ने बाल पहरूआ के सदस्यों से अपनी शादी को रोकने के लिए कोशिश करने को कहा। परिणामस्वरूप उसके दोस्तों ने उपरोक्त कार्यवाही की। अभिभावक अचंभित थे और हितग्राही सामने खड़े थे। अपनी नाबालिग बेटी के विवाह को जायज ठहराने के लिए अनर्गल तर्क के क्रम में पहले तो उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी कि शादी क्यों न करें,? जबकि इससे बड़ी बेटी 17 वर्ष की उम्र में ही किसी के साथ चली गयी, जिससे हमारे परिवार की नाक कट गयी। तो क्या हम दूसरी बेटी के भी जाने का इंतजार करें? दूसरा तर्क जो उन्होंने दिया वो और भी चौकाने वाला था कि वर पक्ष बहुत अच्छा है और वे दहेज लेने की बजाय उल्टे शादी के खर्च में मदद के लिए हमें 60 हजार रूपये दे रहे हैं। उनका यह तर्क कुछ हितग्राहियों के गले से नीचे नहीं उतरा और मन ही मन आशंका हुई कि कहीं यह ब्राइड ट्रैफिकिंग (दुल्हनों की खरीद–फरोख्त) का मामला तो नहीं है। इस बात से सभी लोगों की आँखें खुली की खुली रह गयी, क्योंकि इस बस्ती में पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी थी। एलर्ट समूह के कुछ प्रमुख लोगों ने अभिभावकों के साथ जो चर्चा शुरू की वो सुबह तक चलती रही। इसी क्रम में जागरूक लोगों ने अभिभावकों को यह समझाया कि सबसे पहली बात तो ये कि आपकी 17 वर्षीय बड़ी बेटी भागी नहीं, बल्कि उसे शादी का झांसा देकर भगाया गया है। किसी भी नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर उसकी सहमति या असमहति से सम्बन्ध बनाना, कहीं लाना–ले जाना या उनकी खरीद–फरोख्त चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहलाता है, जो एक गंभीर अपराध है। आपने अपनी नाक और लोक–लाज की खातिर इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे यह पता चल सके कि उसका फिलहाल क्या हाल–चाल है और यदि उसे मदद की आवश्यकता हो, तो उसकी मदद करनी चाहिए। संस्था के कार्यकर्ताओं ने वहां उपस्थित लोगों को बताया गया कि आजकल प्रायः बाहरी लोग अभिभावकों की अनुपस्थिति में शादी का झांसा या नौकरी आदि का प्रलोभन देकर बच्चियों को बहला–फुसला कर उन्हें ले जाकर बहु विवाह या देह व्यापार के धंधे में धकेल देते हैं। इसके लिए ऐसे परिवारों और समुदाय को चुना जाता है जहाँ आर्थिक तंगी और अशिक्षा का जाल पूरी तरह फैला हो।

उपरोक्त सन्दर्भों में कई चरणों पर चर्चा के पश्चात अभिभावक राजी हुए। यूं कहें तो सिर्फ नेहा के अभिभावकों ने ही नहीं, बल्कि समुदाय के अधिकतर लोगों ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और यह तय किया कि उन्हें आगे ऐसे लोगों से सचेत रहना और कड़ी निगरानी रखनी है।

लक्ष्मी ने पाई संघर्ष से अपनी दुनिया

लक्ष्मी अपने परिवार में 4 बहनों और 3 भाइयों में पांचवे नंबर पर है। पिता दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते है और माँ दूसरों के घरों में चौका–बर्तन का कार्य करती है। उसकी छोटी बहने भी इस कार्य में माँ का हाथ बटाती थी और खाली समय में जो भी कार्य मिल जाता है, उसे करते हुए परिवार की आर्थिक मदद करती है। लक्ष्मी के दो बड़े भाई अपने विवाह के उपरान्त परिवार से अलग हो गये है और घर से कोई सम्बन्ध नहीं रखते है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण घर के लोगों ने बच्चों की न केवल पढाई छुड़ाने की बात कही, बल्कि उसकी और उसकी बहन की शादी लगभग एक साथ ही तय कर दी। किन्तु संस्था के संपर्क में आकर लक्ष्मी किशोरी जत्था की सक्रिय सदस्य के रूप में अब तक व्यक्तित्व निखार, क्षमता से परिपूर्ण हो चुकी थी। उसने न केवल अपनी फीस माफी कराकर अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी, बल्कि इसी बीच संस्था द्वारा संचालित इंग्लिश स्पीकिंग क्लास को पूरी शिद्दत से पूरा किया। मजेदार बात ये भी थी कि जब बस्ती में ये इंग्लिश स्पीकिंग कक्षायें शुरू करायी गयी, तो लोगों की प्रतिक्रिया थी कि क्या ये लड़कियां अंग्रेजी सीखकर अंग्रेज बनेंगी? इससे नौकरी मिल जायेगी क्या? ऐसे तानों के साथ सीखने की शुरूआत कर लक्ष्मी ने आज बिना किसी परवाह के स्नातक कक्षा में दाखिल लिया है, वहीं पार्ट टाइम अंग्रेजी सिखाने का कार्य प्रारम्भ कर लोगों की जुबान पर ताला लगाने को मजबूर कर दिया है।

और वह बताती है बाल विवाह को ना कहना

वाराणसी जनपद के वरूणापार शहरी क्षेत्र में स्थित रूप्पनपुर बस्ती में मुख्यत: दलित और मुसहर समुदाय के लोग निवास करते है। अशिक्षा के कारण विकास से दूर यहां भी बच्चों के तमाम मुद्दों में बाल विवाह का मुद्दा प्रमुख है। यहाँ के निवासी संतलाल भारती, जो सब्जी मंडी से सब्जी लाकर बेचने का कार्य करते थे। नीता और उसकी दो छोटी बहने भी पिता के काम में हाथ बटाती थी। नीता घर में बड़ी थी, इसलिए घर का अधिकतर काम उसके जिम्मे था। तीन बेटियां होने के कारण पिता संतलाल को नीता की शादी की भी चिंता थी। अपने नातेदारों और रिश्तेदारों से बात करके उन्होंने नीता का विवाह तय कर डाला। बीच में ही पढ़ाई छूटते देख नीता ने अपना विवाह रूकवाने के लिए अपने पिता से बहुत अनुरोध किया कि वे उसे पढ़ने का अवसर दे। वह पढ़कर और कुछ बन कर दिखाना चाहती है। लेकिन पिता को न मानते देख उसने संस्था को सूचित किया। एस.आर.एफ.–क्राइ टीम के कार्यकर्ताओं ने उसके पिता को उनकी अपनी ही बस्ती की बाल विवाह पीड़िता, जो कम उम्र में शादी होने पर ससुराल की प्रताड़ना और बिगड़ती सेहत के साथ वापस मायके में आकर बद्तर जिन्दगी गुजार रही थी, का उदाहरण देते हुए समझाया गया। उक्त दृष्टान्त को देखते हुए पिता संतलाल भारती ने यह तय किया कि जान–बूझ कर अपनी संतान चाहे वह लड़का हो या लड़की को बाल विवाह के कुचक्र में नहीं डालेंगे। उनका विचार बदला और फिर न केवल नीता की शादी रूकी बल्कि 2016 से लेकर अब तक वह लगातर पढते हुए आज स्नातक अंतिम वर्ष की छात्रा है और अपनी दलित बस्ती की किशोरियों में सबकी मुहबोली है। पढ़ाई के साथ–साथ उसने संस्था द्वारा संचालित डिजिटल लर्निंग सेंटर से कम्प्यूटर कोर्स और कौशल विकास कार्यक्रमों में अंतर्गत व्यूटीशियन कोर्स भी किया है और इन सब का उपयोग वह सबके हित में करती है। अपने अनुभव से वह सबको सिखाती है और यह बताती है कि शिक्षा को हाँ और बाल विवाह को ना कहना।

अभिभावक की नाज बनी काजल

पुलकोहना बस्ती में बाल विवाह का मुद्दा हो, बालश्रम या फिर बाल यौन शोषण का, सभी के प्रति संवेदनशील काजल किसी से भी कहीं भी तार्किक संवाद के जरिए अपना पक्ष मनवाने में आज सबसे आगे है। दिहाड़ी मजदूर नन्दलाल की चार बेटियों और एक बेटे में काजल सबसे बड़ी संतान है। पहले अपनी चारों बेटियों की पढ़ाई, उनके विकास और उनके विवाह को लेकर सदैव चिंतित रहने वाले पिता आज गर्व से कहते है कि हमारी बिटिया काजल हमारी नाज है। वह जो करना चाहे, कर सकती है। क्योंकि हमें उस पर पूरा विश्वास है। आज से लगभग 4 वर्ष पहले जब काजल 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो परिवार के लोगों की सोच आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव के कारण कुछ अलग थी और उनका मानना था कि गरीबी के कारण हम 4–4 बेटियों को पढ़ाने के बारे में सोच भी कैसे सकते है? इसलिए उनका विवाह कर हम इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते है। चूँकि काजल सबसे बड़ी संतान थी, इसलिए बाल विवाह का भी दंश सबसे पहले उसे ही डसने वाला था। किन्तु बाल पहरूआ बैठकों में बच्चों के अधिकार और बाल विवाह की दुश्वारियों की चर्चा ने उसे इस काबिल बनाया कि उसने बड़ी विनम्रता से न केवल अपने अभिभावकों के सामने अपनी बात रखी, बल्कि विवाह रोकने के लिए संस्था से सहयोग भी प्राप्त किया। क्योंकि वह औरों की तरह पंख लगा उड़ना चाहती थी, लेकिन समझदारी से। उसने विद्रोही तरीके से नहीं बल्कि तार्किक ढंग से समझ–समझ कर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। संस्था के सहयोग से उसने डिजिटल लर्निंग सेन्टर से कम्प्यूटर कोर्स किया और व्यक्तित्व निखार के कई प्रशिक्षणों में भागीदारी कर समुदाय के अन्य लड़कियों को भी राह दिखा रही है।

आज हमारा कहीं कोई ऐसा मंच नहीं है, जहाँ बाल विवाह के विरूद्ध काजल का उद्बोधन न हो। यही कारण है कि सभी हितग्राहियों की वह प्रिय बन चुकी है और बाल विवाह के विरूद्ध एक कदम की प्रवक्ता भी। आज बाल विवाह के मुद्दे पर पक्ष–विपक्ष के संवाद के दौरान जहाँ एक से एक बुद्धजीवियों के घमासान में पक्ष–विपक्ष पर हावी होने लगता है, तो ऐसे में काजल बाल विवाह की दुश्वारियों को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बल पर जब लोगों के सामने रखती है, तो सामने वालों की बोलती बंद कर देती है। भले ही वह एक मजदूर की बेटी है, लेकिन उसकी सोच, उसकी समझ कहीं किसी से कम नहीं। किशोरियों के बीच वह रोल मॉडल के रूप में जानी जाती है। काजल न केवल अपना बाल विवाह रोकी है, बल्कि अपने जैसे उन तमाम किशोर–किशोरियों को बाल विवाह के विरूद्ध एक कदम अभियान से जोड़ती जा रही है।

अचेत बचपन

14 वर्ष की उम्र पार करते ही xhrk के अभिभावको ने उसके मामा की अगुवाई में उसका विवाह बगल के जनपद भदोही निवासी व्यक्ति से तय कर दिया, जिसकी उम्र गीता से दुगुनी थी। आर्थिक तंगी में बीते बचपन और शिक्षा से छूटे नाते के कारण गीता को शादी की बात मन ही मन अच्छी लगने लगी। अभावों में पली–बढ़ी, शादी के बाद ससुराल और वहां उसका ख्याल रखने वाले पति की कल्पना और भविष्य के सुखद सपने देख–देख वह खुश हो रही थी। उसे क्या लेना देना था कम उम्र में शादी या फिर दुगुनी उम्र के होने वाले पति से। वो जैसा भी होगा, मायके की गुरबत भरी जिन्दगी से तो अच्छा ही होगा। जहां न तो भर पेट भोजन था और न ही पढाई। ऊपर से माँ के साथ काम पर न जाने पर तोड़ाई।

मण्डप सजा, विवाह हुआ वो अपने ससुराल पहुची। गृह प्रवेश और मुंह दिखाई जैसी सभी रस्मे हुई। उसे लग रहा था कि वह कितनी महत्वपूर्ण हो गयी है। 15 वर्ष की बच्ची जो बचपन से ही दुश्वारियो को झेलती हुई नये सपनों के साथ नई सुबह की तलाश में चली तो आयी थी, किन्तु विवाह नामक संस्था की जिम्मेदारियों से पूरी तरह अनजान थी। खैर! रात हुई महिलाओं ने हँसी–ठिठोली करते हुए दूध भरा गिलास दिया और बताया कि पति के आने पर दे देना। अब तक शायद पति के रूप में दोस्त का ख्याल लिए वो खुश थी, तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और पति को देखते ही वो दहल गयी। सपनों के राजकुमार से उलट, नशे की झोंक में पति ने दूधभरा गिलास उसके सिर पर दे मारा। उसका सिर फूट गया और खून बहने लगा। वह फूट–फूट कर रो रही थी, पर वहां सुनने वाला कोई न था। चूंकि गाँव में शादी हुई थी, इसलिए बहुरिया को शौच जाने के लिए भोर में ही सासू माँ ने दरवाजा खटखटाया, तो अत्यधिक रक्तस्राव से उसे अचेत देख अपने बेटे की करतूत समझते देर न लगी। जख्म पर मरहम पट्टी तो हुई, किन्तु तब तक वह टूट कर बिखर चुकी थी। फिर दूल्हे के पक्ष में ससुराल वालो ने शुरू की तारीफे कि बड़ा अच्छा इंसान है वो, लेकिन गलत सोहबत ने उसे नशेड़ी बना दिया है। लेकिन अब तुम आ गयी हो तो सब संभाल लोगी। कितनी हास्यास्पद बात थी कि एक नाबालिग लड़की से अपेक्षा की जा रही थी एक अधेड़ नसेड़ी आदमी को संभालने की। खैर वक्त के साथ दो बच्चे पैदा हुए। खुद एनेमिया और कुपोषण से ग्रस्त गीता की पहली संतान पैदा होने ही मर गयी और दूसरी संतान मरणासन्न है।

ससुराल की प्रताड़ना और पति का अत्याचार जब सहनशक्ति से बाहर हो गया, तो गीता अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर नये जीवन की आस में पुनः मायके वापस आ गयी। किन्तु उसके भाइयों को उसका वापस आना नागवार लगा। सुरक्षा व संरक्षण के बजाय उसे यहाँ भी मारपीट ही सहना पड़ता था। दूसरो के घरो में घरेलू कार्य करते हुए जो कुछ पैसे मिलते, उसे भी मायके वाले अपने पास ही रखते। उसके जीवन जीने का तौर–तरीका सब कुछ उन्ही के हाथों में निहित था। जीवन से वह पूरी तरह ऊब चुकी थी। एक दिन उसने रेलवे पटरी पर मौत को गले लगाने की भी कोशिश की। लेकिन सौभाग्यवश लोगों ने उसे किसी तरह बचा लिया। कुछ भले लोग मिले तो उसका उपचार हुआ। चिकित्सक का कहना था कि वह मानसिक अवसाद में है। संस्था की काउंसलर्स द्वारा उसकी कई बार काउंसलिग की गयी। जिससे वो धीरे–धीरे सामान्य हुई औरउसमें फिर से जीने की चाह जगी। हर स्तर पर किये गये सहयोग व आर्थिक स्वावलंबन से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। एक दिन काउंसलर द्वारा सहज ही उसने पुनर्विवाह की बात पूछी गयी, तो उसका जबाब भी बड़ा मार्मिक था। उसने कहा कि जो मेरे होकर भी मेरे ना हुए, फिर उनके साथ या एक अजनबी के साथ रहने से भला क्या फर्क पड़ता है? सभी के प्रयास से गीता का पुनर्विवाह हुआ और एक वर्ष बाद जब वह मिली, तो हाल–चाल पूछने पर तपाक से उसने कहा कि अन्धेरे से भला घना कोहरा ही सही, डोर में बन्धी होने से भली खुले में जिंदगी ही सही।

मिला जो साथ

वाराणसी शहर में गंगा कनारे मणिकर्णिका घाट के पास स्थित मीरघाट में चौधरी समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें डोम भी कहा जाता है। ये लोग मूलतः शवदाह का काम करते है। इसी समुदाय की बेटी सिंपल चौधरी, जिसका विवाह उसी बस्ती में पड़ोस के लड़के से घर वालों ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में कर दिया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डोम समुदाय में अपने आस–पड़ोस, अगल–बगल में ही शादी कर देने की प्रथा प्रचलित है। शादी के बाद सिंपल ने एक के बाद एक 5 बच्चों (2 लड़कों, 3 लड़कियों) को जन्म दिया।

सब कुछ ठीक–ठाक ही चल रहा था कि अचनाक एक दिन उसके पति की मौत हो गयी। पति की मौत के समय उसके बच्चों की आयु 11 वर्ष से 7 माह के बीच थी। कम उम्र में शादी के बाद लगातार 5 बच्चों की पैदाइश से माँ और बच्चे सभी कुपोषित और एनेमिक थे। अभिभावकों की अशिक्षा के कारण ये सभी बच्चे न तो किसी आंगनबाड़ी और न ही किसी स्कूल में पंजीकृत थे।

अभी पति की तेरहवीं भी नहीं बीती थी कि उसके ससुर ने उसके पति के बीमा के पेपर मांगे। पति की आकस्मिक मृत्यु से टूट चुकी सिंपल को लगा कि अब उसके सुसर ही उसका सहारा होंगे। उसने बिना कुछ सोचे–समझे सभी दस्तावेज अपने सुसर के हाथों में सौंप दिया। दस्तोवज प्राप्त होते ही ससुराल वालों ने संपत्ति की लालच में सिंपल को घर से बेघर कर दिया। चूँकि पड़ोस में ही उसका मायका था, अतः अपने 5 बच्चों के साथ विधवा सिंपल जब अपने मायके आश्रय के लिए पहुंची तो एक बार मायके वालों के लिए भी वह एक बोझ दिखने लगी। पहले तो वे इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, किन्तु संस्था कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप से उन्हें यह जरूर समझ में आया कि कम उम्र में शादी कर देने से ही संतान की जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिल जाती है। यदि वे समय से अपनी संतान की शादी किये होते, तो उन्हें अपनी ही बेटी और उसके बच्चे अजनबी और बोझ नहीं लगते। सिंपल को संस्था का साथ मिला, जिन्होंने सबसे पहले मायके वालों को इस बात के लिए राजी किया कि वह मात्र कुछ दिनों के लिए उन पर निर्भर है। वह खुद की और अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है। काफी समझाने पर मायके वाले आश्रय देने के लिए राजी हुए और फिर शुरू हुई आगे मदद की कवायद। सबसे पहले बच्चों का अन्धकारमय भविष्य सवांरने की दिशा में छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में पंजीकृत कराया गया। बड़ा बच्चा जो अभी मात्र 11 वर्ष का था, उसे मायके वालें ने शवहदाह के काम में लगा दिया था। उसे भी स्कूल में पंजीकरण हेतु धीरे–धीरे प्रेरित करने का काम शुरू हुआ। किन्तु इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि पैसों का मामला सभी रिश्तों को उपेक्षित कर देता है। स्थिति ऐसी नहीं थी कि बिना सिंपल को आत्मनिर्भर बनाए किसी बात का विरोध किया जाए। हाँ, बच्चों को आश्रय प्रदान करने हेतु बाल कल्याण समिति को आवेदन किया गया। इस बीच सिंपल की स्थायी आत्मनिर्भरता हेतु जब पहल शुरू की गयी, तो उसके पास कोई भी कागजी दस्तावेज नहीं था। इस क्रम में पति के बीमा के कागजात की द्वितीय प्रति निकाली गयी। खाद्य आपूर्ति अधिकारी की मदद से उसका राशन कार्ड बना और इसी क्रम में आधार व पैन कार्ड बनवाकर बैंक एकाउंट भी खुलवाया गया। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद बीमा कंपनी से पैसे सिंपल के एकाउंट में ट्रांसफर कराया गया। आकस्मिक आपदा राहत कोष से 30,000 रूपये की धनराशि भी दिलवाई गयी और आगे विधवा पेंशन योजना से भी जुड़वाया गया।

बाल विवाह पीड़िता सिंपल पति की अकाल मृत्यु के बाद अपने 5 नाबालिग बच्चों के साथ पूरी तरह टूट चुकी थी, उसे जीने की राह तो मिली है, लेकिन अपने साथ हुए कटु अनुभवों को याद करते हुए वह कहती है कि हमारा समुदाय, जो लोगों को तारने का काम करता है, लेकिन वो अपने ही बच्चों के बारे में अनदेखी करता है। पढ़ाने–लिखाने को कौन कहे, कम उम्र में ही किसी भी तरह, किसी से साथ बाल विवाह कर देते है, जो उनके बच्चों की पूरी जिन्दगी को बर्बाद तो करता ही है, साथ ही उसका असर बच्चों की सेहत, शिक्षा या फिर रोजगार का अवसर आदि सभी रास्तों को बंद कर देता है। मैं पढ़ना–लिखना नहीं जानती थी, जल्दी शादी, फिर जल्दी–जल्दी बच्चे, पति की अकाल मृत्यु और अपने और बच्चों की सेहत पर मंडरा रहे खतरे में कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि जियूं तो जियूं कैसे? ऐसी मुश्किल घड़ी में मुझे श.रि.फा.–क्राइ संस्था का साथ मिला। पर क्या सब ऐसे खुशनसीब होंगे, जिन्हें किसी का ऐसा साथ मिल पाता होगा?

दुश्वारियां ही उसकी प्रेरणा बनी

सौतेली माँ द्वारा रोज–रोज की दुत्कार, उसके कहने पर पिता से पड़ रही मार और एक दिन तो हद ही हो गयी जब खुद अपने ही पिता ने अपनी 6 साल की बेटी को बुरी तरह मारते हुए बीड़ी से दाग दिया। मौसी ने आकर किसी तरह जान बचायी। बदले में बाप ने बड़ी बेशर्मी के साथ परवरिश की जिम्मेदारी मौसी पर ही थोप दी। मौसी को बहन की कोखजयी पर दया आई और वह उसे घर ले आई।

किन्तु कुछ दिन ही दिनों बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं वह कोई अनचाहा बोझ तो अपने घर नहीं ले आई? प्यार करने के बावजूद भी ना जाने क्यों मौसी ने इस अबोध बच्ची को दिल्ली में रहने वाले एक धनाड्य दम्पति को उनके बच्चों को संभालने के लिए भेज दिया। एवज में कुछ पैसे उसे मिल जाते और दिल को समझाने के लिए कि बिटिया अच्छे घर में पल–बढ़ रही है। लगभग 3–4 साल बाद जब वह 12–13 वर्ष की हो गयी, तो मौसी ने उसे वापस अपने पास बुला लिया और जहाँ–जहाँ वो चूल्हा–चौका, घरेलू काम के लिए जाती उसे भी अपने साथ–साथ सहयोग के लिए ले जाती।

दिल्ली से वापस आने के बाद उसका बचपन चूल्हे–चौके तक ही सिमट गया। वह पढ़ना चाहती थी, क्योंकि दिल्ली में जहां वह काम के लिए भेजी गयी थी, उस घर में पढ़ते बच्चों को देखा और देखते–देखते ही उसने भी थोड़ा बहुत पढ़ना–लिखना सीख लिया था। लेकिन इसी बीच मौसी ने मात्र 13 वर्ष की आयु में उसकी शादी कर दी। बचपन की मुसीबतों ने उसे बहुत मजबूत बना दिया था और उसे हर मुश्किल से लड़ना सिखा दिया था। शादी के तुरंत बाद ही लगातार तीन बेटियां (जो वर्तमान में क्रमशः 10, 8, 6 वर्ष की है) पैदा हुई। अब क्या था? ससुराल वालों को बेटा न होने के कारण उसे सताने का एक बहाना मिल गया। जहां एक तरह उस पर लगातार बेटा पैदा करने का दबाव था, वहीं पति को भी अब खुलेआम अपनी मर्जी से शराब पीकर उसकी धुनाई करने में मानो मजा आने लगा। उसकी मर्जी होती, तो उसे खर्चा देता और नहीं तो फांके खाने को मजबूर हो जाती।

परिस्थितियों ने उसे इतना मजबूत कर दिया कि नवरात्रि में जब उसकी तीनों बेटियों को लोग कन्या पूजन के लिए बुलाते, तो उसके कलेजे में अपने साथ बचपन से आज तक हुई नाइंसाफी की आग धधक उठती है और कहती है कि ''मैं भला अपनी बेटियों को क्यों किसी के घर उनके स्वार्थपूर्ति के लिए भेजूं? मैं भी तो किसी की बेटी थी और जिसकी बेटी थी वही क्रूर निकला।

आज वह चूल्हा–चौका करके जो भी पैसे अर्जित करती है, उन पैसों से वह अपनी तीनों बेटियों को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। यूं कहे तो सुबह से शाम उसकी जिन्दगी अपनी तीनो बेटियों के नाम हो चुकी है। वो अपनी बेटियों को न केवल स्कूल में पढ़ाती है, बल्कि ट्यूशन या कोई भी ऐसा अवसर खोना नहीं चाहती है, जो उसने अपने बचपन में खोया है। इसी बीच उसने अपनी भी पढ़ाई को आगे किया, 8 वीं पास कर अब 10 वीं की परीक्षा देने जा रही है। शिक्षा की राह हो या फिर प्रबंधन क्षमता, उसे देख कर महसूस होता है और एक कसक होती है कि काश इस बच्ची को एक अवसर मिला होता। अपनी दुश्वारियों को दरकिनार करते और बाल विवाह के दंश को झेलते हुए भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ एक तरफ ससुराल वालों से तीन बेटियां पैदा होने का तिरस्कार, पति द्वारा ''औकात नहीं है तो क्यूं पढ़ा रही हो बेटियों को'' के ताने, पति द्वारा नशे में घर में तोड़–फोड़, बच्चों और खुद के साथ मार–पीट, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए उसका एक ही लक्ष्य है कि ''मेरे साथ जो बुरा हुआ है वह अपनी बेटियों के साथ कभी नही होने दूंगी। मुझे जो नहीं मिला वो सब कुछ अपनी बेटियों को दूंगी ।'' रोज सुबह उसे नए आत्मविश्वास के साथ बढ़ते देख मन सहज ही कहता है कि कितनी ऊर्जा है तुममे, लोग समझते क्यूं नहीं?

बाल विवाह के विरूद्ध विविध पहल और बोलती तस्वीरें

बाल विवाह को ना

शिक्षा से नाता जोड़ों